बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
:: मुखर आदेश ::

मु0आ0सं0–भवन / 11–आरोप(पथ मुजफ्फरपुर)–06 / 2014 2606 (भ) पटना, दिनांक– 28/3/17

श्री राजेन्द्र सरदार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में औराई प्रखण्ड अन्तर्गत नया गाँव से धरहरवा पथ निर्माण की योजना बिना स्थल निरीक्षण के ग्यारह खंडो में विखंडित करने, कुल ₹4804700 / –की प्राक्कलित राशि की योजना में अनुशंसा के बावजूद पुल / पुलिया का प्रावधान नहीं करने जिसके फलस्वरूप उक्त पथ के बरसात के समय 14 स्थानों पर कट कर क्षतिग्रस्त हो जाने तथा बाढ़ पीड़ितो को असुविधा / सरकारी राशि की क्षति होने के आरोपों के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रपत्र–''क'' गठित कर पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–8189, दिनांक–25.09.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1240 दिनांक–03.06.2005 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त कर, असहमति के बिन्दुओं को दर्ज करते हुए पत्रांक–10128 दिनांक–14.09.2009 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसका जवाब आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक–25.09.2009 को समर्पित किया गया। मामले के समीक्षोपरान्त पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दंड–(i) निंदन–(ii) तीन वर्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक–(iii) भविष्य में देय प्रोन्नति की तिथि से तीन वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक एवं (iv) तीन वर्षो के लिए अकार्य पदस्थापन पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2223, दिनांक–01.12.2010 द्वारा सहमति प्राप्त हुई एवं तत्पश्चात् पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–16692, दिनांक–14.12.2010 द्वारा उक्त दंड संसूचित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध माननीय पटना, उच्च न्यायालय में समादेशवाद संख्या–17520 / 2011 राजेन्द्र सरदार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–11.11.2013 को पारित न्यायादेश में उक्त संसूचित दण्ड को निरस्त करते हुए परिवादी को फिर से कार्रवाई करने की छूट प्रदान की गयी। इस बीच अभियंताओ का संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री सरदार की सेवा भवन निर्माण विभाग में आ जाने के कारण आगे की कार्रवाई भवन निर्माण विभाग द्वारा की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा संसूचित दण्ड को भवन निर्माण विभाग के विभागीय अधिसूचना संख्या–9110, दिनांक–01.09.2014 द्वारा निरस्त किया गया तथा श्री सरदार से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सरदार के दिनांक–31.07.2014 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या–9264(भ0) दिनांक–04.09.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में संपरिवर्तित किया गया।

श्री सरदार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरान्त प्राक्कलन बनाने से पूर्व स्थल निरीक्षण नही करने, फलस्वरूप ₹48.00 लाख की लागत से निर्मित पथ के ध्वस्त होने से बाढ़ पीड़ितो को असुविधा / सरकारी राशि की क्षति होने के उक्त आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेन्द्र सरदार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध पेंशन राशि से स्थायी रूप से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती के अनुमोदित विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–545(भ0)अनु0 दिनांक–16.01.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति / परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1103 दिनांक–17.07.2015 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

अतः सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–8101 दिनांक–04.08.2015 द्वारा श्री सरदार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत को पेंशन से स्थायी रूप से 05% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री राजेन्द्र सरदार द्वारा पूनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-14517 / 2015 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.12.2015 को पारित न्यायादेश में उक्त दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया एवं दण्ड की मात्रा (Quantum of Punishment) पर आरोपित से कारण पृच्छा करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को मामले का निस्तार करने

का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर उक्त दण्डादेश निरस्त किया गया कि दण्डादेश निर्गत करने के पूर्व दण्ड प्रस्ताव के संबंध में आरोपित को सूचना नही दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या– 2525 दिनांक–25.03.2017 द्वारा श्री सरदार के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश संख्या–8101 दिनांक–04.08.2015 को निरस्त किया गया है एवं विभागीय पत्रांक–6264(भ0) दिनांक–29.06.2016 पत्रांक–6661(भ0) दिनांक–12.07.2016 पत्रांक–10608 दिनांक–28.10.2016 एवं पत्रांक–12337 दिनांक–21.12.2016 द्वारा श्री राजेन्द्र सरदार सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से उक्त अनियमितता के लिए पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती के दण्ड के संबंध में कारण पृच्छा की गई।

श्री सरदार द्वारा दिनांक–08.01.2017 को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में उक्त आरोप को खंडित करने के संबंध में उनके द्वारा कोई बात नहीं कही गई है। उक्त स्थिति में पूर्व संसूचित दण्ड लगाये गये आरोप के आधार पर प्रमाणित है तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार श्री सरदार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल जमुई सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से स्थायी रूप से 05% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/3/17

(ब्रजनंदन प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2606 (भ) पटना, दिनांक– 28/3/17

प्रतिलिपिः–श्री राजेन्द्र सरदार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत ग्राम+पोस्ट–चरणें, भाया–जदिया, जिला–सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/17
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2606 (भ) पटना, दिनांक– 28/3/17

प्रतिलिपिः–उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ, राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

27/3/17
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2606 (भ) पटना, दिनांक– 28/3/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/17
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/Abhishek/Adesh/Sanjay Singh

ज्ञापांकः— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना, भवन निर्माण विभाग, पटना को श्री सरदार को उक्त आदेश तामिला कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

27/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

27.3.17